भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2789
17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पंजाब में उचित दर की दुकानें

2789. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में वर्तमान में चल रही उचित दर की दुकानों (एफपीएस) की संख्या कितनी है;
(ख) एफपीएस डीलरों को दिए जाने वाले औसत मासिक कमीशन या मार्जिन का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पंजाब सरकार या डीलर एसोसिएशनों की ओर से मार्जिन को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उचित दर की दुकानों से चोरी के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): वर्तमान में पंजाब में कुल 19,814 उचित दर दुकानें (एफपीएस) प्रचालनरत हैं।

(ख) और (ग): उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी की पद्धति का प्रावधान करते हैं, एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और प्रबंधन एवं उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 1 अप्रैल 2022 से एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को बढ़ाया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

...2/-

राज्य की श्रेणी	एफपीएस मार्जिन का घटक	**पूर्व-संशोधित मानदंड** (दर रुपये प्रति क्विंटल में)	**संशोधित मानदंड** (दर रुपये प्रति क्विंटल में)
सामान्य श्रेणी के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	एफपीएस डीलर मार्जिन	70	90
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21
विशेष श्रेणी के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	एफपीएस डीलर मार्जिन	143	180
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26

राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हों, तक सीमित होगी। पंजाब राज्य सरकार से मार्जिन में संशोधन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ): उचित दर दुकानों से लीकेज होने और योजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके अतिरिक्त, पंजाब में सभी 19,814 (100%) उचित दर दुकानों (एफपीएस) को ई-पीओएस उपकरणों को संस्थापित करके स्वचालित कर दिया गया है ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा पात्र लाभार्थियों को वितरित की जाए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पंजाब सहित) से इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल्स (ईपीओएस) उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन को एकीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

*****